



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: 1920/अका./का.प./2016

रायपुर, दिनांक 06/08/2016

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बाईसवां* बैठक शनिवार, दिनांक 30.07.2016 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. श्री ललित सुरजन	—	सदस्य
3. डॉ. दिनेश मारोटिया	—	सदस्य
4. डॉ. शैलेन्द्र सराफ	—	सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय	—	सदस्य
6. डॉ. अमरकान्त पाण्डेय	—	सदस्य
7. डॉ.(श्रीमती) किरण गजपाल	—	सदस्य
8. डॉ. पी.सी. अग्रवाल	—	सदस्य
9. डॉ. एस.व्ही.के. प्रसाद	—	सदस्य
10. श्री नरेश चन्द्र गुप्ता	—	सदस्य
11. डॉ. आर. पी. दीक्षित	—	सदस्य
12. डॉ. लक्ष्मीकांत भारती	—	सदस्य
13. श्री चन्द्र कुमार चन्द्राकर	—	सदस्य
14. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय, कार्यपरिषद् सदस्य को जुलाई, 2016 को अधिकावार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप कार्यपरिषद् सदस्य के रूप में अंतिम बैठक है कार्यपरिषद् की ओर से कुलसचिव द्वारा उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कुलपति एवं सभी सदस्यों द्वारा कार्यपरिषद् में उनके द्वारा महत्वपूर्ण निर्णयों पर आवश्यक सुझाव एवं सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। तत्पश्चात् कार्यपरिषद् की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

कार्यवृत्त :

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 06.06.2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.06.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई।

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 06.06.2016 की बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.06.2016 की बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

03. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की आपात बैठक, दिनांक 13.07.2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की आपातिक बैठक दिनांक 13.07.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई।
04. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की आपात बैठक, दिनांक 13.07.2016 की बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की आपात बैठक, दिनांक 13.07.2016 की कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।
05. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 15.07.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.07.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि जिन महाविद्यालयों का सशर्त सम्बद्धता प्रदान की गई है, उनकी शर्त की पूर्ति निर्धारित अवधि में अकादमिक विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाय।
06. विश्वविद्यालय रेगुलेशन 169 की कंडिका 8 के अनुसार Jain Study Chair के लिये Chair Person की नियुक्ति हेतु एक प्रतिष्ठीत (Eminent) सदस्य का मनोनयन कार्यपरिषद् के द्वारा किया जाना है विचारार्थ प्रस्तुत।
निर्णय : विश्वविद्यालय रेगुलेशन 169 की कंडिका 8 के अनुसार Jain Study Chair के लिये Chair Person की नियुक्ति हेतु समिति के लिए एक सदस्य के रूप में डॉ. उदय जैन, पूर्व कुलपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवां (म.प्र.) के नाम का अनुमोदन किया गया।
07. डॉ. अम्बर व्यास, सहायक प्राध्यापक विश्वविद्यालय फार्मैसी संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वीकृत Raman Post Doctral Fellowship की राशि रु.19,17,683.00 (उन्नीस लाख सत्रह हजार छःसौ तिरासी रुपये) के भुगतान करने की सूचना ग्रहण के साथ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय : डॉ. अम्बर व्यास, सहायक प्राध्यापक विश्वविद्यालय फार्मैसी संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वीकृत Raman Post Doctral Fellowship की राशि रु.19,17,683.00 (उन्नीस लाख सत्रह हजार छःसौ तिरासी रुपये) के भुगतान करने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
08. जैविकी अध्ययनशाला के 3 शोध छात्रों को UGC-BSC-JRF Science for Meritorious Students को दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक फेलोशीप राशि रु. 5,77,403.00 (पाँच लाख सतहत्तर हजार चार सौ तीन रुपये) भुगतान करने की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : जैविकी अध्ययनशाला के 3 शोध छात्रों को UGC-BSC-JRF Science for Meritorious Students को दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक फेलोशिप राशि रु. 5,77,403.00 (पाँच लाख सतहत्तर हजार चार सौ तीन रुपये) भुगतान करने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

09. दिनांक 18.02.2016 से 11.07.2016 तक कुल 58 शोधार्थियों को प्रदान किए गए डॉक्टर ऑफ फिलासफी उपाधि, सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : दिनांक 18.02.2016 से 11.07.2016 तक विभिन्न संकायों के अंतर्गत कुल 58 शोधार्थियों को प्रदान किए गए डॉक्टर ऑफ फिलासफी (पीएच.डी.) उपाधि की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

10. विश्वविद्यालय के 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 से 119 प्रतिशत के स्थान पर पेंशन/परिवार पेंशन का 125 प्रतिशत महंगाई राहत की दर, छ.ग. राज्य शासन के अनुरूप प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय के 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 से 119 प्रतिशत के स्थान पर पेंशन/परिवार पेंशन का 125 प्रतिशत महंगाई राहत की दर, छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का वित्त निर्देश 19/2016 एवं पत्र क्रमांक 230/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार दिनांक 21 जून, 2016 के अनुरूप प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर का प्रतिशत
दिनांक 01.01.2016 (माह जनवरी, 2016 की पेंशन/परिवार पेंशन जो माह फरवरी 2016 में देय है)	पेंशन/परिवार पेंशन का 125 प्रतिशत

11. विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क के Servers के वार्षिक रखरखाव (AMC) एवं Anti-Virus Server (400 users) के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क के Servers के वार्षिक रख रखाव (AMC) एवं Anti-Virus Server (400 users) के लिए विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति के द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार मेसर्स, की-कम्प्युटर, शंकरनगर, रायपुर को उनके द्वारा उल्लेखित न्यूनतम दर के आधार पर रुपए 8,13,300.00 (रुपए आठ लाख तेरह हजार तीन सौ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की।

12. वित्तीय सत्र 2016-17 के अनुमानित बजट के परीक्षा मद में Central Valuation हेतु बजट राशि रु. 150.00 लाख में राशि कम शेष होने के कारण परीक्षा मद के ही Renovation & Construction of Guest house/New Guest house/International Convention Centre में रखी गई 100.00 लाख में से राशि रु. 70.00 लाख स्थानांतरित किये जाने की, स्वीकृति के साथ सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : वित्तीय सत्र 2016-17 के अनुमानित बजट के परीक्षा मद में पद क्रमांक 11 में Renovation & Construction में प्रावधानित राशि रुपए 100.00 लाख में से राशि रु. 70.00 लाख Central Valuation मद में स्थानांतरित करने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

13. छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण के दर में एकाएक वृद्धि के संबंध में जानकारी एवं शेष बचत राशि रु. 47,60,334.00 भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण के लिए प्रस्तुत देयक का पूर्व में किये गये भुगतान के बाद शेष राशि रु. 47,60,334.00 के भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

14. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.06.2016 में श्री जानकी प्रसाद शर्मा (बर्खास्त कर्मचारी) के प्रकरण के संबंध में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जानकारी, पर विचार करना।

टीप : श्री जानकी प्रसाद शर्मा (बर्खास्त कर्मचारी) के प्रकरण पर निम्नलिखित जानकारी के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय:

(1) सत्रवार प्रस्तुत जानकारी में बचे आवेदन पत्रों को उसमें **Carried forward/Brought forward** का उल्लेख करते हुए शामिल किया जाय।

(2) वर्ष 2011-12 में जो जानकारी दी गई है, उसका पुनः परीक्षण आवश्यक है।

(3) इस अवधि में स्टॉक वेरीफिकेशन की जानकारी भी दिया जाय।

(4) प्रकरण पर स्थानीय निधि संपरीक्षा (लोकल फंड ऑडिट) द्वारा उल्लेखित आपत्ति के संबंध में उनके ऑडिटर को बुलाकर चर्चा की जाय एवं कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में आमंत्रित किया जावे। इसके पूर्व अंकेक्षण आपत्ति एवं इससे संबंधित समस्त जानकारी का परीक्षण कार्यपरिषद् सदस्य श्री नरेश चन्द्र गुप्ता से करा लिया जाए।

15. समाधान कालेज, सर्वतोमुखी समाधान शिक्षण संस्कार समिति, ग्राम-फरी, पो.-बीजभाटा, जिला-बेमेतरा में प्राचार्य पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करना।

निर्णय : समाधान कालेज, सर्वतोमुखी समाधान शिक्षण संस्कार समिति, ग्राम-फरी, पो.-बीजभाटा, जिला-बेमेतरा में प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा अनुसार डॉ. पन्ना लाल यादव के नाम का अनुमोदन किया गया।

पूरक विषय सूची -

01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.07.2016 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.07.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि जिन महाविद्यालयों का सशर्त सम्बद्धता प्रदान की गई है, उनकी शर्त की पूर्ति निर्धारित अवधि में अकादमिक विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

02. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 17.02.2016 के निर्णय अनुसार "विश्वविद्यालय महिला समाज" का गठन करने संबंधी विस्तृत रूपरेखा का प्रारूप अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।
- निर्णय : कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 17.02.2016 के निर्णय अनुसार "विश्वविद्यालय महिला समाज" का गठन करने संबंधी प्राप्त रेगुलेशन में पंजीयन कराने की आवश्यकता फिलहाल महसूस नहीं की गई। अतः निर्णय लिया गया कि पंजीयन एवं उसी के अनुरूप अन्य बिंदु में सुधार करते हुए रेगुलेशन का अनुमोदन किया गया।
03. डॉ. मनमोहन लाल सतनामी, असिस्टेंट प्रोफेसर को स्वीकृत कर्तव्य अवकाश के अनुमोदन पर विचार करना।
- निर्णय : डॉ. मनमोहन लाल सतनामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन अध्ययनशाला को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक F 30-18/2016/(SA-11) दिनांक 18.04.2016 के अनुसार यू.जी.सी. रिसर्च अवार्ड प्राप्त होने के फलस्वरूप दिनांक 18.04.2016 से दो वर्ष के लिए कर्तव्य अवकाश का अनुमोदन किया गया।
04. वर्ष 2016 वार्षिक परीक्षा गोपनीय मुद्रण भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : वर्ष 2016 वार्षिक परीक्षा एवं सेमेस्टर परीक्षा के गोपनीय मुद्रण के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।
05. रेडियेन्ट वे पब्लिक स्कूल के वाहनों को विश्वविद्यालय परिसर से आने-जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने हेतु विचार करना।
- निर्णय : विश्वविद्यालय परिसर में विगत वर्षों में आवागमन में तेजी से वृद्धि हुई है। वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके चलते किसी दुर्घटना की आशंका भी कई गुना बढ़ गई है। परिसर में बाहरी एवं गैर जरूरी व्यक्ति और वाहनों के आने जाने से छात्र-छात्राओं की सुरक्षा का प्रश्न भी उठता है। विशेषकर छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय परिसर में निरापद वातावरण होना आवश्यक है।
- रेडियेन्ट वे पब्लिक स्कूल के प्रकरण पर तत्कालीन परिस्थितियों में अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत रोड संधारण के लिए भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07.10.2002 एवं 24.10.2002 में की गई अनुशंसा का, कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.10.2002 में किये गये अनुमोदन को वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए वापस लिया जावे।
06. डॉ. अलेख साहू, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, विधि अध्ययन शाला के विरुद्ध प्राप्त अनेक गंभीर शिकायतों की जानकारी के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : डॉ. अलेख साहू, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, विधि अध्ययनशाला के प्रकरण पर विधिक अभिमत लेकर निर्णय लेने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

07. सुश्री माण्डवी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान के शैक्षणिक कार्यों के प्रति विमुखता पाये जाने संबंधी प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : सुश्री माण्डवी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान के प्रकरण पर शैक्षणिक कार्यों के प्रति विमुखता के कारण दिनांक 21.11.2014 से एक वर्ष के लिए परीक्षा अवधि बढ़ायी गई थी। उसके बाद अधिकांश अवधि में वे अवकाश पर रहीं। अतः उनके कार्य के संबंध में आकलन किया जाना संभव नहीं है। अतएव उनकी परीक्षा अवधि पुनः दिनांक 21.11.2015 से एक वर्ष वृद्धि की जावे।


08. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 27.04.2016 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।


निर्णय : भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 27.04.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण :

1. डॉ. आर.पी. दास, प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान के बरहमपुर विश्वविद्यालय, बरहमपुर (उड़िसा) में कुलपति नियुक्त होने के फलस्वरूप उनके द्वारा प्राप्त आवेदन को मान्य करते हुए कार्यमुक्त होने की तिथि से तीन वर्ष के लिए धारणाधिकार की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष



कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक: 1921 / अका. / का.प. / 2016

रायपुर, दिनांक 06 / 08 / 2016

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् / जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक / प्रभारी, अंकेक्षण,
5. समस्त विभागीय अधिकारी, / अध्यक्ष समस्त कार्यभार शक्ति
6. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)